



कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,लैसडौन(गढ़वाल)।



E Mail ID :- eepwldlansdowne@gmail.com. & eepwldlansdowne@rediffmail.com.
(01386)262260

Phone/Fax :

पत्रांक /

दिनांक :- /09/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार गढ़वाल।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मैदोली-परिन्दा-बौठा-डेरियाखाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आपेक्षित 1.80 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/9407/2015)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का कार्यालय फाईल सं०-8बी०/यू० सी०पी० /06/84/2015/एफ०सी०/101 दिनांक 22.4.2021व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का कार्यालय पत्रांक 2859 FP/UK/ROAD/9407/2015 दिनांक 17 जून 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार की पत्र सं० 8बी०/यू० सी०पी० /06/84/2015/एफ०सी०/1451 दिनांक 09-12-2016 के द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का कार्यालय फाईल सं०-8बी०/यू० सी०पी० /06/84/2015/एफ०सी०/1063 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना व सम्बन्धित प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 2678/21सी० दिनांक 04-10-2018(संलग्न छाया प्रति) के द्वारा पूर्व ही आपको प्रेषित है, जो पुनः निम्नानुसार तैयार कर ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रेषित किये जा रहें हैं।

क्रम	सूचना	आख्या
1.	बिन्दु संख्या 01के जवाब में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 59G पर CA scheme दी गई है, जिसके विवरणानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमानित धनराशी रु० 5,14,000/- बताई गई है, जबकि नोडल ऑफिसर, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 28.07.2018 के अनुसार कैम्पा कोष में 10 वर्षों के लिए CA की लागत 9,11,995/-रु० जमा किये गये हैं। अतः राज्य सरकार 9,11,995/-रु० की CA scheme की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी तथा इसे ऑनलाइन वैब पोर्टल पर अपलोड करें।	बिन्दु का निस्तारण आपके कार्यालय के द्वारा किया जाना है।

2	NPV calculation sheet में NPV rate में ₹0 34,42,500/- लिया है, परन्तु NPV rate रुपये 15,21,000/- जमा किया गया है। अतः राज्य सरकार संशोधित NPV calculation sheet इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार हरियाली का घनत्व 10-40 प्रतिशत NPV दर 8.45 लाख प्रति हे० की दर से 1.800 हे० की धनराशी ₹0-15,21,000-00 मात्र है, जो सही है। स्पष्टीकरण पूर्व ही इस कार्यालय के उक्त पत्रांक के द्वारा प्रेषित है।
3.	शर्त संख्या 06 के जवाब में, राज्य सरकार geo referenced digital map of CA की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	Geo referenced digital map of CA की मूल प्रति 4 प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांक 1222/21सी० दिनांक 24-04-2018 के द्वारा पूर्व ही आपको प्रेषित है,

इसके अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में क्षेत्र degraded forest land अंकित है, जो भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार भूमि की श्रेणी 9 (3) ग के अन्तर्गत अभिलेखों में झाड़ी वाले जंगल के रूप में दर्ज होती है, एवं इस श्रेणी की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जानें हेतु उपयुक्त मानी गई है।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जानें हेतु सूचना अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



अधिशायी अभियंता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
लैसडौन गढ़वाल।

पत्रांक / दिनांक :- /09/2020
प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (ग०क्ष०) लो०नि०वि० पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :-अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त, लो०नि०वि० पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- स०अ० प्रा०ख०लो०नि०वि० लैसडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियंता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
लैसडौन गढ़वाल।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।



E Mail ID:- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 2678 / 21सी0

दि0 04/10/18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली – परिन्दा – वौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.80 हे0 वन भूमि का का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/U.C.P./06/84/2015/F.C/1063 दि0 28.08.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 635./FP/UK/ROAD/ 9407/2015 दि0 04. सितम्बर 2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नोडल अधिकारी देहरादून की संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय सहित त्रुटिवश आपके कार्यालय के वजाय प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रति प्रेषित है। पत्र के साथ भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की संदर्भित पत्र को संलग्न करते हुए भारत सरकार स्तर से विषयक प्रकरण में वांछित 3 बिन्दुओं पर आख्या/ सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) बिन्दुवार मांगी गई सूचना के सम्बंध में आख्या निम्नवत है :-

बिन्दु सं0 :-1 बिन्दु सं0 (1) के अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 59 जी पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में योजना की लागत रु0 5,14000.00 दर्शाई गई है। जिसके विरुद्ध वन विभाग स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की नई दरों पर योजना की लागत रु0 911995.00 की मांग की जाने पर 10 वर्षों तक के रख –रखाव हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में वांछित धनराशि को जमा कर दिया गया है। पत्र के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की लागत रु0 911995.00 की योजना बनाकर प्रस्ताव में संलग्न होनी थी। योजना आपके स्तर से तैयार कर कृपया नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करते हुए एक प्रति हस्ताक्षरोपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि नई दरों पर गठित योजना को वैब पोर्टल पर अपलोड किया जा सकें।

बिन्दु सं0:-2 बिन्दु सं0 (2) के अनुसार N.P.V. आंकलन सीट में (छाया प्रति संलग्न) प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 85 पर N.P.V. की दर हरियाली के घनत्व 10 से 40 प्रतिशत के अनुसार 8.50 लाख की दर से रु0 3442500.00 आंकलित की गई है जो कि 1.80 हे0 के अनुसार त्रुटिवश गलत टंकित हुआ है। जबकि 1.80 हे0 का रु0 8.50 लाख की दर से रु0 15,30000.00 होना चाहिए था।

उपरोक्त के क्रम में कृपया अपने कार्यालय की पत्र सं0 1664/12-1 दि0 30.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें बिन्दु सं0 (2) के अनुसार N.P.V. धनराशि रु0 8.45 लाख की दर से 1.80 हे0 $\times 845000.00 =$ रु0 1521000.00 मात्र का डिमान्ड नोट प्रस्तावक विभाग को भेजा गया था। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा N.P.V. धनराशि रु0 1521000.00 वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है।

क्रमश:-2

चयनित भूमि का नामान्तरण जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की कार्यालय आदेश सं० 2527/26-प्रशा०अधि० (सा०प्रशा०)/2017 दि० 14.09.2017 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किए जाने के आदेश पारित किए गये। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की पत्र सं० 4771/12-1 दि० 20.06.2017 द्वारा खण्ड को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल (ए०एन०आर०) सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है, परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है।

पुनः प्रत्यावर्तित होने वाली 1.800हे० भूमि के दुगने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयन करने हेतु दि० 28.06.2017 में राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2017 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू-3 के खाता खतौनी सं० 19 खसरा न० 4809 रकवा 36.00हे० मध्ये 3.600हे० उत्तराखण्ड सरकार NON ZA भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ी दर्ज अभिलेख है को प्रस्तावित कर सूचित किया गया। चयनित भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग व लो०नि०वि०, के प्रतिनिधियों द्वारा दि० 03.08.2017 में संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के उपयुक्त पाये जाने पर जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की आदेश सं० 493/26-प्रशा०अधि०(सा०प्रशा०)/2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 14.09.2017 को खण्डित करते हुए ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन के वर्तमान खाता खतौनी सं० 19 के खसरा न० 4809 रकवा 36.00हे० मध्ये 3.60 हे० उत्तराखण्ड सरकार, भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ी दर्ज अभिलेख को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किए जाने के आदेश पारित किए गये। वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित सिविल सोयम भूमि का अमल-दरामद तहसील कार्यालय स्थित रक्षित वही आर-6 व राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की NON ZA खाता खतौनी में दर्ज करने के पश्चात तहसीलदार लैन्सडौन की पत्र सं० 73/र०का०2017-18 अमल-दरामद दि० 10.01.2018 द्वारा खण्ड को सूचित किया गया। NON ZA खतौनी व जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय के आदेश की प्रति संलग्न है।

2. शर्त सं० 2 के अनुपालन में एन०पी०वी० (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि रू० 1521000.00 का चालान जनरेट कर चालान द्वारा वन विभाग के पक्ष में कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है।
3. शर्त सं० 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दर में यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा कराएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त सं० 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निधियों में जमा की जाने वाली धनराशि को चालान द्वारा कैम्पा कोष में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

5. शर्त सं0 5 के अनुपालन में जहां-जहां सम्भव हो मार्ग के दोनों किनारों तथा CENTRAL VERGE पर प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में STRIP PLANTATION की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में पुनरीक्षित चयनित वृक्षारोपण स्थल का GEO-REFERENCED व DIGITAL MAP सभी सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न है।
7. प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अन्य सभी अधिरोपित शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाएगा तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त के अनुसार वन विभाग के पक्ष में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग कोटद्वार से सूचित धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरों पर रू0 911995.00, एन0पी0वी0 मद में धनराशि रू0 1521000.00 कुल धनराशि रू0 2432995.00 को चालान द्वारा कैम्पा कोष/ वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया गया है।

अतः भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वांछित प्रमाण-पत्रों व सी0डी0 सहित हार्ड कापी में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिरोपित शर्तों की आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रेसित करते हुए प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र
वांछित मानचित्र 4-4 प्रतियों
में तथा सी0डी0।

पत्रांक 1222/21सी0

दिनांक :- 04/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, (लेखा वर्ग) उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
6. सहायक अभियन्ता, तृतीय, प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन को इस निर्देश के साथ कि वे सैद्धान्तिक शर्तों की अनुपालन आख्या QN LINE UP LOAD करवाना सुनिश्चित करें।
7. खण्डीय अमीन प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष कुमार)

अधिशाली अभियन्ता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

23/04/18

Rec-2111

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dthgarhwal@gmail.com / PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 493/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2017, दिनांक पौडी 20/12/2017
आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या-2527/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2017 दिनांक 14.09.2017 को निरस्त किया जाता है। उपजिलाधिकारी लैन्सडौन के द्वारा पुनः ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन के वर्तमान खतौनी खाता संख्या-19 के खसरा नं० 4809 रकबा 36.00 मध्ये 3.60 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)(ग) अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गयी है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग व प्रस्तावक विभाग द्वारा किया गया है तथा वन विभाग द्वारा ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू में उपरोक्तानुसार पुनः चयनित की गयी प्रस्तावित भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित भूमि में कोई गौचर, बासगाह, मन्दिर, मस्जिद, शमशानघाट, प्राणी-पनघट, इमारती लकड़ी के बाग आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है० सिविल भूमि को वन विभाग के प्रक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौडी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौंटा मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन के वर्तमान खतौनी खाता संख्या-19 के खसरा नं० 4809 रकबा 36.00 मध्ये 3.60 है० भूमि उत्तराखण्ड सरकार की श्रेणी 9(3)(ग) अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ी दर्ज अभिलेख भूमि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- सचिव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभाषी वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौडी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, लैन्सडौन।

30/11/17
THR(L)

र. आ. का. कर

21/12/17
SDM(L)

R91/10

R12

उपरोक्तानुसार अनुपालन करे

30/12/17
Ch

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

	FP/UK/ROAD/1252/2011	ROAD12522011059	11312522011059	15 Jul 2011	CA: 3548794/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 0/-, Other Charges 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 3548794/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 18 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 18 Sep 2017 Transaction Date : 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/9407/2015	ROAD94072015388	11394072015388	09 Dec 2016	CA: 911995/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 1521000/- Other Charges 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total: 2432995/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 13 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 13 Sep 2017 Transaction Date : 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan

Disclaimer

An innovative e-Governance Initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
 For any clarification, kindly contact at (011-24695407 or may send E-Mail monitoring-ic(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact
 Environment, Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID), NIC, New Delhi,
 monitoring-ic(at)nic(dot)in

डिजिटल मानचित्र - जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली - परिन्दा - बौंठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 3.60 है०)

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation 3.6 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Forest Range Boundary

(Handwritten signatures and stamps)

सहायक अभियन्ता
प्रान्त व ख० लो० नि० वि०
मै० मंडीन (गढ़वाल)

बिश्वाजी अभियन्ता
प्रान्त व ख० लो० नि० वि०
को० मंडीन

26/06/15
मै० मंडीन (गढ़वाल)

C.S. Hams